रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227094 CG-DL-E-19052021-227094

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] No. 271] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2021/वैशाख 29, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2021/VAISAKHA 29, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

सा.का.िन. 337(अ).—कितपय प्रारूप नियम अर्थात् भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 15 अप्रैल, 2021 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 266 (अ), तारीख 13 अप्रैल, 2021 के अधीन उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से उस तारीख से जिसको उनका प्रकाशन किया जाता है, पन्द्रह दिन के भीतर सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था ।

अतः अब केंद्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (2) के खंड (ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) (संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2721 GI/2021 (1)

- 2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में,–
 - (i) नियम 2 को उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) में, -
 - (I) खंड (ग), खंड (ङ), खंड (ट) और खंड (ठ) का लोप किया जाएगा;
 - (II) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - '(ण) "निवासी भारतीय नागरिक" का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान पर सरकार द्वारा समय-समय पर विरचित नीति में हो;';
 - (III) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - '(त) किसी भारतीय बीमा कंपनी में "कुल विदेशी विनिधान" से ऐसी कंपनी में विदेशी विनिधानकर्ताओं द्वारा किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान की कुल राशि अभिप्रेत है, जिसकी संगणना भारतीय बीमा कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी;';
 - (IV) खंड (थ) का लोप किया जाएगा;
 - (ii) नियम 2 में इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम या नियमों अथवा विनियमों में है।"।
- 3. मूल नियमों के नियम 3 में "उनचास" शब्द के स्थान पर "चौहत्तर" शब्द रखा जाएगा।
- 4. मूल नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "4. (1) विदेशी विनिधान रखने वाली किसी भारतीय कपनी में.-
 - (क) उसके निदेशकों का बहुमत,
 - (ख) उसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का बहुमत, और
- (ग) उसके बोर्ड के अध्यक्ष, उसके प्रबंध निदेशक और उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी में से कम से कम एक व्यक्ति, निवासी भारतीय नागरिक होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम और नियम 9 के प्रयोजनों के लिए "प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो उसका भारत में बीमाकर्त्ताओं के लिए कार्पोरेट शासन प्राधिकारी द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में उसका है।

- (2) विदेशी विनिधान रखने वाली प्रत्येक भारतीय बीमा कंपनी जो भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ को या उसके पूर्व अस्तित्व में है, ऐसे प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर उपनियम (1) के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।
 - 4क. उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी विनिधान रखने वाली किसी भारतीय बीमा कंपनी में,-

- (क) किसी वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें साम्या शेयरों पर लाभांश संदत्त किया जाता है और जिसके लिए किसी भी समय शोधन अक्षमता मार्जिन 1.2 गुना से कम है, शोधन अक्षमता नियंत्रण स्तर वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ से पचास प्रतिशत से कम नहीं है, को साधारण आरक्षिती में प्रतिधारित किया जाएगा; और
- (ख) उसके निदेशकों के पचास प्रतिशत से अन्यून स्वतंत्र निदेशक होंगे, जब तक कि उसके बोर्ड का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक न हो. उस दशा में उसका कम से एक-तिहाई बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बनेगा।"।
- 5. मूल नियम में, नियम 5 में "उनचास" शब्द के स्थान पर "चौहत्तर" शब्द रखा जाएगा।
- 6. मूल नियम में, नियम 8 में "एफईएमए" अक्षरों के स्थान पर "विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 13011/19/2013-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ), तारीख 19 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534 (अ), तारीख 03 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 314 (अ.), तारीख 16 मार्च, 2016 और स.का.नि. 619(अ), तारीख 2 सितम्बर, 2019 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2021

G.S.R. 337(E).—Whereas, certain draft rules, namely, the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2021, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), dated 15th April, 2021 under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Financial Services) number G.S.R. 266 (E), dated the 13th April, 2021, inviting suggestions from persons likely to be affected thereby within a period of fifteen days from the date on which they are published;

And whereas suggestions received on the said draft rules were considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938, read with sub-clause (b) of clause (7A) of section 2 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules),—
 - (i) rule 2 shall be numbered as sub-rule (1) thereof, and in sub-rule (1) as so numbered,—
 - (I) clauses (c), (e), (k) and (l) shall be omitted;
 - (II) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:—
 - '(o) "Resident Indian Citizen" shall have the meaning assigned to it in such policy as the Central Government may frame from time to time on foreign direct investment;';
 - (III) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

'(p) "Total Foreign Investment" in an Indian Insurance Company, shall mean the sum total of direct and indirect foreign investment by Foreign Investors in such company, calculated in such manner as is specified in regulations made by the Authority with regard to registration of Indian Insurance Companies;';

(IV) clause (q) shall be omitted;

- (ii) in rule 2, after the sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations."
- 3. In the principal rules, in rule 3, for the word "forty-nine", the word "seventy-four" shall be substituted.
- 4. In the principal rules, for rule 4, the following rules shall be substituted, namely:—
 - "4. (1) In an Indian Insurance Company having foreign investment,—
 - (a) a majority of its directors,
 - (b) a majority of its Key Management Persons, and
 - (c) at least one among the chairperson of its Board, its managing director and its Chief Executive Officer,

shall be Resident Indian Citizens.

Explanation.—For the purposes of this rule and rule 9, the expression "Key Management Person" shall have the same meaning as assigned to it in guidelines made by the Authority on corporate governance for insurers in India.

- (2) Every Indian Insurance Company having foreign investment, existing on or before the date of commencement of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2021, shall within one year from such commencement, comply with the requirements of the provisions of sub-rule (1).
- 4A. In an Indian Insurance Company having foreign investment exceeding forty-nine per cent.,—
 - (a) for a financial year for which dividend is paid on equity shares and for which at any time the solvency margin is less than 1.2 times the control level of solvency, not less than fifty per cent. of the net profit for the financial year shall be retained in general reserve; and
 - (b) not less than fifty per cent. of its directors shall be independent directors, unless the chairperson of its Board is an independent director, in which case at least one-third of its Board shall comprise of independent directors."
- 5. In the principal rules, in rule 5, for the word "forty-nine", the word "seventy-four" shall be substituted.
- 6. In the principal rules, in rule 8, for the letters "FEMA", the words, figures and brackets "Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999)" shall be substituted.

[F. No. 13011/19/2013-Ins.II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secv.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 115 (E), dated the 19th February, 2015 and were subsequently amended by notification numbers G.S.R. 534(E), dated the 3rd July, 2015, G.S.R. 314(E), dated the 16th March, 2016 and G.S.R. 619(E), dated the 2nd September, 2019.